"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 मई, 2013— वैशाख 27, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती नसीम अहमद पति स्व. नईम अहमद, आयु-60 वर्ष, निवासी- बलदेव बाग, वार्ड नं.-14, तह. व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं कु. नीरा रामटेके पिता श्री करणलाल रामटेके, निवासी-स्टेशनपारा, राजनांदगांव (छ. ग.) के नाम से जानी पहचानी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 15-02-1977 को नईम अहमद पिता-स्व. नजीर अहमद, निवासी-बलदेव बाग, वार्ड नं.-14 तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) के साथ इस्लामिक रीति-रिवाज से सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती नसीम अहमद पति श्री नईम अहमद रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती नसीम अहमद पति स्व. नईम अहमद के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व दर्ज किया जाये

पुराना नाम	नया नाम
कु. नीरा रामटेके पिता-श्री करणलाल रामटेके निवासी-स्टेशनपारा राजनांदगांव (छ. ग.)	श्रीमती नसीम अहमद पति- स्व. नईम अहमद निवासी-बलदेव बाग, वार्ड नं.-14 तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती राजेश यादव पति श्री **धर्मेन्द्र कुमार, आयु**-40 वर्ष, निवासी- क्वा. नं.3बी, सड़क नं. 70, सेक्टर-6, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति के भिलाई **इस्पात संयंत्र के सर्विस** रिकार्ड में मेरा नाम भूलवश श्रीमती राजेश कुमारी दर्ज हो गया है को सुधार कर सही नाम श्रीमती राजेश यादव अंकित किये जाने हेतु सक्षम **प्राधिकारी के समक्ष** शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती राजेश यादव पति धर्मेन्द्र कुमार के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी **व दर्ज किया** जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती राजेश कुमारी पति-श्री धर्मेन्द्र कुमार निवासी-क्वा. नं. 3 बी सड़क नं.-70, सेक्टर-6, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	**श्रीमती राजेश यादव** **पति-श्री धर्मेन्द्र कुमार** **निवासी-क्वा.** नं. 3 बी **सड़क नं.-70, सेक्टर-6, भिलाई** **तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)**

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहन नायर पिता-स्व. पी. के. नायर, आयु-52 वर्ष, स्थायी निवासी- ग्राम-कुसुमकसा, तह.-डौण्डी, जिला-बालोद, हाल निवासी-क्वा. नं. 81/BIMA, टाऊनशीप, दल्लीराजहरा, तह.-डौण्डी, जिला-बालोद (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे प्राथमिक शाला प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम त्रुटिवश मोहनन आत्मज पी. के. नायर अंकित हो गया. जिसे सुधारकर मेरा सही नाम मोहन नायर आ. स्व. पी. के. नायर दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे मोहन नायर पिता स्व. पी. के. नायर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
मोहनन पिता-स्व. पी. के. नायर स्थायी निवासी-ग्राम-कुसुमकसा तहसील-डौण्डी, जिला-बालोद (छ. ग.) हाल निवासी-क्वा नं. 81BIMA, टाऊनशीप, दल्लीराजहरा तह.-डौण्डी, जिला-बालोद (छ. ग.)	मोहन नायर पिता-स्व. पी. के. नायर स्थायी निवासी-ग्राम-कुसुमकसा तहसील-डौण्डी, जिला-बालोद (छ. ग.) हाल निवासी-क्वा नं. 81BIMA, टाऊनशीप, दल्लीराजहरा तह.-डौण्डी, जिला-बालोद (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2013

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक/60/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक भंवर लाल पागरिया आत्मज स्व. दीपचंद पागरिया निवासी टैगौर नगर रायपुर ने भगवान महावीर जैन रिलिफ ट्रस्ट, पागरिया काम्पलेक्स सिद्धार्थ चौक टिकरापारा रायपुर का छ. ग. लोक न्याय अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु बैठक दिनांक 30-03-2013 की छायाप्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	"भगवान महावीर जैन रिलिफ ट्रस्ट" पागरिया काम्पलेक्स सिद्धार्थ चौक टिकरापारा रायपुर.
2.	चल संपत्ति	:	5,000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 13-05-2013 उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10-04-2013 को जारी.

बी. सी. साहू,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.